188

संख्याः 4303/ XVIII-(2)/2014-04(17)/2014

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूजेवीएन लि0, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन विभाग

देहरादूनः दिनांकः 10 सितम्बर, 2014

विषयः– आपदा पैकेज (SPA-R) के अन्तर्गत यूजेवीएन लि0 की परियोजनाओं के पुनर्निर्माण कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (परियोजनाएं),यूजेवीएन लि0 के पत्र संख्या–177/यूजेवीएन लिमिटेड/ 03/निदे0(परि0)/बी–19 दिनांक 29.03.2014 तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्याः 44(21)PFI/2013–1773 दिनांक 28.03.2014 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपदा पैकेज (एस0पी0ए0–आर0) के अन्तर्गत यूजेवीएन लि0 की आपदा से क्षतिग्रस्त नीचे तालिका में अंकित 03 जल विद्युत परियोजनाओं के पुनर्निर्माण हेतु कॉलम–5 अनुसार कुल रू0 **980.00 लाख (रूपये नौ करोड़ अस्सी लाख मात्र)** की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुये आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(रू0 लाख में)

क्र0सं0	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	भारत सरकार से 2013–14 के लिये अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	उर्गम (3.00 मेगावाट)	735.00	74.00	74.00
2.	पिलनगाड़ (2.25 मेगावाट)	904.00	90.00	90.00
3.	अस्सीगंगा–1 (4.5 मेगावाट)	1119.00	816.00	816.00
	योग	**2758.00**	**980.00**	**980.00**

1– धनराशि का आहरण इस हेतु प्रबन्ध निदेशक,यूजेवीएन लि0 द्वारा तैयार किये गये एवं जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित बिल द्वारा किया जायेगा।

2– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में योजनावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना सहित नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है।

4– उक्त स्वीकृति के सापेक्ष व्यय/समर्पित धनराशि का लेखा मिलान संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड,देहरादून में निश्चित रूप से प्रत्येक तीन माह में सुनिश्चित कराया जायेगा।

2/–

c.k.m.

5– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के लेखों का रख–रखाव एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत वित्तीय नियमों/दिशा–निर्देशों तथा अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसके ऑडिट का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विभागाध्यक्ष का होगा।

6– स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2015 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाये और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

7– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–01 –केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0103–एस0पी0ए0/ए0सी0ए0 (आपदा 2013) के अन्तर्गत ऊर्जा सेक्टर हेतु अनुदान–24–वृहत निर्माण कार्य (आयोजनागत) के नामें डाला जायेगा।

8– **यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या–118NP/XXVII(5)/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।**

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव

संख्या–4303 (1)/XVIII-(2)/2014–4(17)/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी), ओबैरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
7. जिलाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी/चमोली।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी/चमोली।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(भास्करानन्द)
सचिव

c.k.m.